न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 79/2022 बउनवानी रामसहाय बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी पुत्र रूग्गा माली, निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/144

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.9.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.6.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– ग्राम खानपुर बडौदा मे स्थित माफी मंदिर श्री गोविन्द देव जी की कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्व किये गये निर्णय के संबंध मे निम्नांकित सूचना :– (1).क. सरकार (मंदिर माफी) बनाम श्रीफूल पुत्र छगनलाल माली निर्णय दिनांक 20.11.2000 ख. सरकार (मंदिर माफी) बनाम भूरसिंह पुत्र कन्हैया माली निर्णय दिनांक 5.2.2021 ग. सरकार (मंदिर माफी) बनाम संतोष कुमार पुत्र रूपसिंह जोगी निर्णय दिनांक 29.9.2021 घ. सरकार (मंदिर माफी) बनाम मन्नू पुत्र भोला बैरवा निर्णय दिनांक 6.6.2022 (2). रामसहाय माली द्वारा दिनांक 23.6.2022 व दिनांक 30.6.2022 को श्रीमान तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/2024 दिनांक 7.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 30.6.2022 के बिन्दु संख्या (1) क लगायत घ एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.6.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या (1) क लगायत घ की सूचना (पटवार हल्का को लिखे गये पत्रों की प्रति) अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रार्थना पत्र दिनांक 23.6.22 एवं 30.6.22 पर की गयी कार्यवाही की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः बिन्दु संख्या (1) क–घ के क्रम मे धारा 91 के तहत की गयी कार्यवाही एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना अपीलान्ट को 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। [illegible] अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया [illegible] (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:33:23 IST
Reason: SelfAttested